

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग, कोटा

क्रमांक: संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/रिशफल आवंटन-2016/नियु.वअ हिन्दी /2020/614

दिनांक:31.12.2020

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020/दिनांक 23.12.2020 एवं 20.07.2020, 23.07.2020 एवं 24.07.2020 के द्वारा डी.बी. रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी भर्ती परीक्षा-2016 के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-हिन्दी पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2020 को परामर्श शिविर आयोजित किया जाकर संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-हिन्दी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रू0प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।


संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करे।
- 3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4 भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित Noc for civil job, Noc for Higher Education, Retirement diary, ppo, दोहरे लाभ संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अधीन रहेंगी।
- 5 विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
- 6 आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करे
- 7 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 8 **आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-**
- (1) अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है, तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
- (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र



जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।


- (स) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जिन अभ्यर्थियों के नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है, उनके संबंध में नियमानुसार नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन आशार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावे।
- 9 चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रू0प्रतिमाह / विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
 - 10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा-महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
 - 11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
 - 12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 - 13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
 - 14 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।
 - 15 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 - 16 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2016 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगी।
 - 17 संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।
 - 18 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक क-2/06पाट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधत(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
 - 19 इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.01.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।


 (हजारी लाल शिवहर)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 कोटा संभाग कोटा

क्रमांक: संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/20301/रिफल-आवंटन-2016/नियु-वअ हिन्दी /2020/ 614 दिनांक: 31.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4- शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 6- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 7- सिस्टम एनालिस्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज.बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 10- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 11- संबंधित संस्था प्रधान, उमावि/मावि-----
- 12- संबंधित आशार्थी
- 13- रक्षित पत्रावली






 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 कोटा संभाग कोटा

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा

सूची

दिनांक 31.12.2020

क्रमांक:--संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/रिफाल-आवंटन-2016/नियु.वअ.हिन्दी(नॉन टीएसपी)/2020/614

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	Address	District	DOB	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो
1	369706	1835	MURLDIHAR SOORA	HANUMAN PRASAD SOOR	VILLAGE & POST BAJAVA SURO KA TEH.CHIDAWA DISTT, JHUNIHUNU 333025	JHUNIHUNU	05-03-77	OBCM	EX	BC,EX	राउमावि जोडी,डग	झालावाड	
2	327678	1839	HANSRAJ	JAGDISH PRASDAD	VILLAGE & POST NAGHORI TEH NEEMRANA DISTT.ALWAR 30175	ALWAR	07-05-82	OBCM	EX	BC,EX	राउमावि मनोहस्थाना	झालावाड	
3	239029	1876-A	SANGEETA SHARMA	OM PRAKASH SHARMA	VILLAGE JAIPURA POST GULLANA TEH BASWA DISTT. DAUSA 303327	DAUSA	01-07-86	GENF		GE,WE	राउमावि सथूर, हिण्डोली	बून्दी	
4	288335	1876-D	SHRI VIKAS MOURYA	NATHURAM MOURYA	V.P.O NATHUSAR TEH. SRIMADHOPUR DISTT. SIKAR 332712	SIKAR	16-04-85	SCM		SC	राउमावि कचनारियाकलां, छीपाबडौद	बारां	

M.S.
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग, कोटा

क्रमांक: संयु.निदे/स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/रिशफल-आवंटन-2016/नियु.वअ सामाजिक विज्ञान/2020/613दिनांक:31.12.2020

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/ सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020/दिनांक 23.12.2020 एवं 20.07.2020, 23.07.2020 एवं 24.07.2020 के द्वारा डी.बी. रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान भर्ती परीक्षा-2016 के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान पद पर नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2020 को परामर्श शिविर आयोजित किया जाकर संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-सामाजिक विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रू०प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2 पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करे।
- 3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4 भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित Noc for civil job, Noc for Higher Education, Retirement diary, ppo, दोहरे लाभ संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व नियोक्ता को वअ भर्ती 2018 के पदों हेतु भरे हुए आवेदन की सूचना आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।
- 5 विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
- 6 आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करे
- 7 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 8 **आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-**
 - (1) अन्य पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है, तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
 - (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र

जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जिन अभ्यर्थियों के नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं है, उनके संबंध में नियमानुसार नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन आशार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावे।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावे।

- 9 चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रु० प्रतिमाह / विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
- 10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा-महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
- 11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
- 12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- 13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- 14 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।
- 15 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 16 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2016 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगी।
- 17 संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगे।
- 18 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक क-2/06 पाठ दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
- 19 इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.01.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(हजारी लाल शिवहरे)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

क्रमांक:संयु.निदे./स्कूल शिक्षा/को/संस्था-3/रिशफल-आवंटन-2016/नियु.वअ सामाजिक विज्ञान/2020/613 दिनांक:31.12.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4- शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 6- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 7- सिस्टम एनालिस्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज.बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 10- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 11- संबंधित संस्था प्रधान, उमावि/मावि-----
- 12- संबंधित आशार्थी
- 13- रक्षित पत्रावली




संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा


कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा

सूची

दिनांक 31.12.2020

क्रमांक:-संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/रिफल आवंटन-2016(नियु.वअ.सामाजिक विज्ञान(नॉन टीएसपी)/2020/613

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	Adress	District	DOB	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो
1	660810	746	ASHOK KUMAR SHARMA	MOOL CHAND SHARMA	VILLAGE & POST UDAWALA TEH. DAUSA	DAUSA	11-07-85	GENM		GE	रामावि हापाहेडी, अत्ता बारां	बारां	
2	758041	967	KIRODI LAL GURJAR	SHYAM LAL GURJAR	VILLAGE DEHRA POST KHEDLI TEHH BAMANWAS DISTT. SAWAI MADHOPUR 303507	SAWAI MADHOPUR	01-01-93	SBCM		SB	राउमावि ल्हास, अकलेरा	झालावाड	
3	962998	2109	RAM LAL GURJAR	LAXMI NARAYAN GURJAR	VILLAGE MAHUWA POST BHARNI DISTT. TONK 304001	TONK	02-05-78	OBCM	EX	SB,EX	राउमावि मिलवाडी, भवानीमण्डी	झालावाड	


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा